न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 07 वर्ष 2025

फुलचन्द गुर्जर बनाम शंकर गुर्जर वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
06.02.2025	मूल वाद के साथ श्री कौशल किशोर जाट एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 135/2 वाके ग्राम कुरावदा पटवार हल्का श्रीरामपुरा उर्फ नयागॉव तहसील निवाई जिला टोंक में आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्ष मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 19.03.2025 को पेश हो। [signature]	267-270 12/02/25 [signature]
19/3/25	वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामअवतार शर्मा Adv. ने UT की। [illegible] वकालतनामा व जवाब प्रा.पत्र अप्रार्थी सं. 1 व पत्रावली रखी। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित 2/5/25 को पेश हो। [signature]	पत्रावली पेश [illegible] [signature] 19/3/25
2/5/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] रिकार्ड 3/6/25 को पेश हो। [signature]	
10/6/25	प्रा.पत्र बाबत मिसल तलबी व प्रा.पत्र TI खारिज किये जाने का पेश होने पर पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व प्रार्थी वकील हाजिर। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि पक्षकार के मध्य समझौता हो चुका है और TI को खारिज कराना चाहते हैं अनुरोध किया। प्रा०पत्र TI खारिज की जाती है पत्रा० फैसल शुदा नत्थी प० [illegible] जावे- आदेशः [illegible] (हस्ताक्षर)	